## निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
## उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 27/2017 दावा
दायरा दिनांक 05.05.2017
निर्णय दिनांक :— 31.8.21

### उनवान

1. रामकिशन पुत्र श्री मथुरालाल
2. मथुरालाल पुत्र मन्नालाल जातिगण माली निवासीगण तिसाया तहसील बारां राज.

### बनाम

1. जमनालाल
2. नन्दकिशोर
3. हुकमचन्द
4. देवीशंकर पुत्र श्री अमरलाल जाति माली
5. द्वारकीलाल
6. तेजकरण
7. मुस. काली बेवा श्री गोरधन माली निवासी तिसाया
8. सु. पृथ्वीबाई पुत्री गोरधन जाति माली निवासी तिसाया
9. मदनलाल पुत्र श्री भवर जाति माली निवासी तिसाया
10. बाबूलाल
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां राज.

**वाद अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट**
**निर्णय दिनांक :— 31.8.21**

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर— वादी
2 श्री राजेन्द्र कुमार सुमन — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र [illegible] धारा 251 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया [illegible] प्रार्थीगण पिता पुत्र है, जो शामिल शरीफ रहकर कृषि कार्य करते है, को काश्तकारी [illegible] करते है। प्रार्थीगण की ओर से आराजियात ग्राम तिसाया तहसील बारां जिला बारां में अवस्थित है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

आराजी खसरा नंबर 78, 219, 245, 311, 314, 351 ता 355, 363, व 577 वाके ग्राम तिसाया मे स्थित है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 खसरा नंबर 312, 313, 350 व अप्रार्थी क्रम 7 ता 6 खसरा नंबर 315, 329 अप्रार्थी क्रम 7 व 8 खसरा नंबर 316 एवं अप्रार्थी क्रम 9 व 10, खसरा नंबर 343, 344 आराजियात वाके ग्राम तिसाया तहसील बारां जिला बारां के खातेदारान क्रमश है। प्रार्थी क्रम 2 के खाते मे खसरा नंबर 567 वाके ग्राम तिसाया व प्रार्थी क्रम 1 के खाते में खसरा नंबर 219, 245 व 355 वाके ग्राम तिसाया तहसील बारां जिला बारां मे अवस्थित है। प्रार्थी क्रम 2 मथुरालाल के खसरा नंबर 567 मे निजी टयूबवेल लगा हुआ है, कि जिससे प्रार्थीगण उक्त वर्णित प्रार्थना–पत्र मद् नंबर 2 मे आराजीयात को सिंचित करना चाहते है, इस निमित्त प्रार्थी क्रम 2 के खसरा नंबर 567 से भूमिगत या बाहर पाईप लाईन डालने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रकार पाईप डाले जाने मे अप्रार्थी के खेत मे होकर ही पाईप डाला जाना संभव है। इस निमित्त ही यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम तिसाया सम्वत् 2065–68 खाता संख्या 358 नकल जमाबन्दी ग्राम तिसाया सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 317, नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। तहसीलदार बारां से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जो रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुई। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थ मे नकल जमाबन्दी ग्राम तिसाया सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 328 नकल मृत्यु प्रमाण–पत्र मथुरालाल पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि प्रार्थी के खातेदारी मे कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम तिसाया मे स्थित है, तथा अप्रार्थीगण की भूमि भी ग्राम तिसाया मे स्थित है। प्रार्थी क्रम 2 के खातेदारी की भूमि मे टयूबवेल लगा हुआ है। उक्त टयूबवेल से प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी को सिचाई करना चाहते है, जिसके लिए अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मे होकर भूमिगत पाईप लाईन डालकर ही सिचाई हो सकती है। अप्रार्थीगण इसके लिए मना करते है, तथा भूमिगत पाईप लाईन नही डालने दे रहे है। यदि प्रार्थी की भूमिगत पाईप लाईन नही डाली गये तो प्रार्थी के खातेदारी की भूमि बिना सिचाई के सूख जायेगी तथा प्रार्थी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण की भूमि से होकर पाईप लाईन डलवाने का आदेश तहसीलदार बारां के नाम किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे, कि वह प्रार्थी द्वारा डाली जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है, कि खसरा नंबर 567 वाके ग्राम तिसाया मे स्थित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज नही है। इसलिए उक्त लगी हुई टयूबवेल किसकी है, प्रमाणित नही है। इसलिए उक्त खसरा [illegible] 567 मे लगी हुई ट्यूबवेल से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी [illegible] होकर भूमिगत या बाहर पाईप लाईन के लिए कानूनन अधिकृत नही है। अप्रार्थीगण [illegible] खाते की भूमि को सिचित करने के लिए अपने स्वयं के लाभ के लिए अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी मे होकर भूमिगत व बाहर पाईप लाईन डालने के लिए अधिकृत नही है, क्योकि पाईप लाईन

उप [illegible] अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डालने से अप्रार्थीगण की फसल खराब होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। प्रार्थीगण अपनी भूमि को सिंचित करने के लिए स्वयं के खाते की आराजी मे नया ट्यूबवेल लगाकर उसके सिंचित करने के लिए स्वतन्त्र है। अप्रार्थीगण की भूमि के अलावा सरकारी भूमि मे होकर पाईप लाईन डालने के लिए सरकार से परमिशन लेकर डाल सकते है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम तिसाया सम्वत् 2065–68 के अनुसार मूल्या, मथुरा पुत्र मन्ना कोम माली के खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम तिसाया सम्वत् 2069–72 खाता सख्या 404 रामकिशन पुत्र मथुरालाल जाति माली के खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम तिसाया सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 317 के अनुसार मथुरालाल पुत्र मन्नालाल जाति माली सा.देह के खातेदारी मे दर्ज है। नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां द्वारा रिपोर्ट मे बताया कि दिनांक 13.06.2019 को भूमिगत पाईप लाईन का मौका देखा गया। मौके पर प्रार्थी रामकिशन द्वारा भूमिगत पाईप लाईन की दिशा स्थिति बताये अनुसार भूमिगत पाईप लाईन खसरा नंबर 311, 312, 315, 314, 391/330, 329, 344, 343 से गुजरेगी। भूमिगत पाईप लाईन का नक्शा लाल स्याही से दर्शाकर राजस्व नक्शा रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रार्थी को तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व / रीडर /2017/857 दिनांक 17.10.2017 को खसरा नंबर 352 मे से सिचाई की स्वीकृति पूर्व में मिल चुकी है। उक्त खसरा नंबर जमनालाल, देवीशंकर, किशोर, मदनलाल, वगैरा के खातेदारी मे दर्ज है, जिनमे होकर भूमिगत पाईप लाईन डाली जानी है। वादीगण को उक्त खसरा नंबरान मे होकर भूमिगत पाईप लाईन डालने की स्वीकृति दिया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम तिसाया तहसील बारां के खसरा नंबर 311, 312, 315, 314, 1391/330, 329, 344, 343, मे होकर भूमिगत पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रार्थीगण को फसल कटने के बाद दी जाती है वादीगण खडी फसल में पाईप लाईन डालने का कार्य नहीं करे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है, कि वादीगण के भूमिगत पाईप लाईन डालने में किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान पैदा न करे। वादीगण को भूमिगत पाईप लाईन डालने दे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:57 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner